हिन्दुस्त

कमर्शियल बिजली कनेक्शन अब बिना एनओसी मिलेगा

सहूलियत

- विभाग आवेदक से शपथ पत्र लेकर कनेक्शन देगा
- मध्यांचल विद्युत निगम के एमडी ने दिया आदेश

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एलडीए या अन्य प्राधिकरण की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। घरेलू मानचित्र पर अब बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह ने शनिवार को सभी मुख्य अभियंताओं को आदेश जारी किया। विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 अंतर्गत किसी भी परिसर पर संयोजन किसी भी श्रेणी में दिये जाने पर कोई रोक नहीं है। इसके लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि परिसर धराशायी होने या सक्षम प्राधिकरण की आपत्ति पर बिजली आपूर्ति स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी जाए।

एलडीए ने तीन साल पहले लेसा को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि घरेलू बिल्डिग पर कॉमर्शियल कनेक्शन न दिया जाए। ऐसा होने से आवासीय कॉलोनियों में कामर्शियल गतिविधियां बढ़ती जा रही है। लेसा ने इसे लागू कर दिया तो उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं और अभियंता के बीच तकरार बढ़ने लगी।

मध्यांचल निगम के एमडी ने कहा कि एलडीए ने कनेक्शन के लिए प्राधिकरण से एनओसी के विषय में किसी कानून का उल्लेख नहीं किया है, जो परिसर में कनेक्शन के लिए मना करता हो। उन्होंने कहा कि जब तक इस संबंध में किसी कानून के तहत ऐसा प्रतिषेध न किया गया हो तब तक कनेक्शन संबंधी आवेदनों पर रोक का औचित्य नहीं है'